रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2016/अग्रहायण 3, 1938
No. 357] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2016/AGRAHAYANA 3, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2016

विषय: नई औद्योगिक इकाइयों के लिए पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति, 2007 का संशोधन।

सं.10(3)/2007-डीबीए- II/एनईआर.—सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2007 के का.ज्ञा. सं. 10(3)/2007-डीबीए-II/एनईआर द्वारा अधिसूचित 'पूर्वोत्तर औद्योगिक एवं संवर्धन नीति, 2007' के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) में औद्योगिकीकरण एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन एवं राहत पैकेज का अनुमोदन किया था। उक्त नीति के अनुसरण में, दिनांक 27.7.2007 की अधिसूचना सं. 10(3)/2007-डीबीए- II/एनईआर द्वारा केंद्रीय ब्याज राजसहायता योजना, 2007 तथा केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना अधिसूचित की गई थी।

2. इस नीति के कार्यान्वयन के परिणाम की समीक्षा होने तक, नई औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण को 01.12.2014 से निलंबित किया गया था।

3. अब सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों, जिन्होंने 01.12.2014 को अथवा उसके बाद उत्पादन शुरू कर दिया था, (इसके बाद इन्हें 'नई औद्योगिक इकाइयों' के रूप में संदर्भित किया गया है) के लिए उक्त नीति को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। 01.12.2014 से पहले पंजीकृत इकाइयां संशोधन पूर्व मानदंडों के अनुसार लाभ प्राप्त करती रहेंगी। इसलिए वे नई औद्योगिक इकाइयां जो पंजीकरण के लिए पात्र हैं, उनको अब स्वंय को पंजीकृत कराने तथा राजसहायता के संशोधित मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अत: निलंबित पंजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से पुन: शुरू किया जा रहा है।

क. <u>नई इकाइयों के लिए केंद्रीय ब्याज राजसहायता योजना का संशोधन</u>

यह राजसहायता दिनांक 27.7.2007 की अधिसूचना सं. 10(3)/2007-डीबीए- II/एनईआर द्वारा अधिसूचित योजना के अनुसार प्रदान की जाएगी, सिवाय इसके कि ब्याज राजसहायता केवल औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए पूंजी व्यय अथवा व्यापक उन्नयन/आधुनिकीकरण संबंधी पूंजी विस्तार के लिए वित्त हेतु लिए गए 5-10 वर्ष की परिपक्वता

अवधि के आवधिक ऋण पर उपलब्ध होगी। ब्याज राजसहायता प्राइम लेंडिंग दर से अधिक उधारी लागत को प्रति वर्ष 3% की सीमा तक सहायता देने के लिए केवल 10 करोड़ रुपए तक के आवधिक ऋणों तक सीमित रहेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राजसहायता-पश्चात ब्याज दर संबंधित बैंक अथवा वित्तीय संस्था की प्राइम लेंडिंग दर से नीचे न हो। प्रति वर्ष देय राजसहायता को एक अलग खाते में संचित किया जाएगा और आवधिक ऋण को बंद करने के समय पर देय बकाया ऋण/ब्याज के लिए समायोजित किया जाएगा।

ख. <u>केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना का संशोधन</u>

यह राजसहायता दिनांक 27.7.2007 की अधिसूचना सं. 10(3)/2007-डीबीए- II/एनईआर द्वारा अधिसूचित योजना के अनुसार प्रदान की जाएगी, सिवाय इसके कि नई इकाइयों (जिनका उत्पाद 01.12.2014 को अथवा इसके बाद शुरू हुआ है) के लिए राजसहायता विनिर्माण क्षेत्र में प्रचालन करने वाली प्रत्येक औद्योगिक इकाई के लिए 5 (पांच) करोड़ रुपए तथा सेवा क्षेत्र में प्रचालन करने वाली औद्योगिक इकाई के लिए 3 (तीन) करोड़ रुपए तक सीमित होगी।

<u>संवितरण तंत्र का संशोधन</u>

4. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इसके बाद से सभी औद्योगिक इकाइयों को देय राजसहायताएं मुख्य लेखा नियंत्रक (उद्योग) द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण तंत्र के माध्यम से संवितरित की जाएगी जिसके लिए इकाइयों को अपने आप को अपेक्षित बैंक अनिवार्यताएं आदि प्रदान करके ई-भुगतान पोर्टल पर पंजीकृत कराने की आवश्यकता होगी। केवल इस सीमा तक ही पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई), गुवाहटी की भूमिका एवं जिम्मेदारी संशोधित होगी। पात्र राजसहायता की मात्रा राज्य स्तरीय समितियों की सिफारिशों के आधार पर होगी तथा अपेक्षित जांच, सत्यापन तथा लेखापरीक्षा के बाद लाभार्थी औद्योगिक इकाइयों के डीबीटी-लिंक्ड बैंक खातों में सीधे ही जमा की जाएगी।

वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2016

Subject: Revision of North East Industrial and Investment Promotion Policy, 2007 for new industrial units

No.10(3)/2007-DBA-II/NER.—The Government had approved a package of incentives and concessions to promote industrialization and investment in the North East Region (including Sikkim) under the "North East Industrial and Investment Promotion Policy, 2007", notified vide O.M. No. 10(3)/2007-DBA.II/NER dated 1st April, 2007. In pursuance of the above policy, the Central Interest Subsidy Scheme, 2007 and Central Capital Investment Subsidy Scheme were notified vide Notification No.10(3)/2007-DBA.II/NER dated 27.7.2007.

2. Pending review of the outcome of the implementation of the Policy, registration of new industrial units was suspended w.e.f. 1.12.2014.

3. It has now been decided by the Government to revise the above Policy for the industrial units which had commenced production on or after 1.12.2014 (hereinafter referred to as 'the new industrial units'). The units registered before 1.12.2014 would continue to get benefits as per pre-revised norms. The new industrial units who are eligible for registration are, therefore, now invited to register themselves and avail the following benefits as per revised norms of subsidy. The suspended registration process is, therefore, being resumed with immediate effect.

A. <u>Revision of Central Interest Subsidy Scheme for new units:</u>

The subsidy will be provided in terms of the scheme notified vide Notification No.10(3)/2007-DBA.II/NER dated 27.7.2007 except that the interest subsidy will be available only on term loans of 5-10 years maturity taken to finance capital expenditure on setting up of industrial units or for capital expansion on substantial upgradation / modernization. The interest subsidy will be limited to term loans up to Rs. 10 crore only to subsidize cost of borrowing above PLR to the extent of up to 3% p.a.

so as to ensure that post-subsidy interest rate does not fall below the Prime Lending Rate of the concerned bank or financial institution. The subsidy due every year will be accumulated in a separate account and adjusted against the outstanding loan / interest due at the time of closure of the term loan.

B. Revision of Central Capital Investment Subsidy Scheme

The subsidy will be provided in terms of the scheme notified vide Notification No.10(3)/2007-DBA-II/NER dated 27.7.2007 except that the subsidy for the new units (which commenced production after 1.12.2014) will be limited to Rs. 5 crore per industrial unit operating in manufacturing sector and Rs. 3 crore per industrial unit operating in services sector.

Revision of disbursement mechanism

4. Government has also decided that henceforth the subsidies payable to all the industrial units will be disbursed through Direct Benefit Transfer mechanism by the Chief Controller of Accounts (Industry) for which the units would need to get themselves registered on the e-payment portal by providing required bank mandates etc. Only to this extent, the role and responsibility of North East Development Financial Corporation (NEDFi), Guwahati will be modified. The quantum of eligible subsidies will be based on the recommendations of the State Level Committees and credited directly into the DBT-linked bank accounts of the beneficiary industrial units after due checks, verifications and audits.

VANDANA KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.11.24 23:21:05 +05'30'